# अनुदान संख्या 9 - कोयला मंत्रालय
# GRANT No. 9 - MINISTRY OF COAL

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | 920,35,00 | 848,72,13 | -71,62,87 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | 71,62,87 |
| **पूंजीगतः** | **Capital:** | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | 2,20,00 | 2,15,86 | -4,14 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | 4,15 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552" | | | | |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 8435.00 | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -8435.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2803" | Major Head "2803" | | | | |
| कोयला और लिग्नाइट | Coal and Lignite | | | | |
| मू. | O. | 78581.00 | 79463.55 | 79463.56 | +0.01 |
| पु. | R. | 882.55 | | | |

(I) ₹8443.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹8020.00 लाख को मुख्य शीर्ष "2552" – "कोयला और लिग्नाइट – अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया:–

(I) Provision of ₹8443.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹8020.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Coal and Lignite - Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) "क्षेत्रीय अन्वेषण" – ₹2300.00 लाख;

(A) "Regional Exploration" - ₹2300.00 lakhs;

(खा) "विस्तृत ड्रिलिंग" – ₹5000.00 लाख; और

(B) "Detailed Drilling" - ₹5000.00 lakhs; and

(गा) "कोयला क्षेत्र में परिवहन अवसंरचना का विकास"– ₹720.00 लाख।

(C) "Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - ₹720.00 lakhs.

प्रावधान उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(II) Under Major Head "2803" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन एवं प्रशासन – सांविधिक निकाय, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय" – ₹1261.64 लाख की बचत (₹2666.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Statutory Bodies, Attached and Sub-ordinate Offices" - saving of ₹1261.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2666.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "कोयला और लिग्नाइट कंपनियों को सहायता – कोयला खदानों में संरक्षण, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास" – ₹6563.80 लाख की बचत (₹6762.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Assistance to Coal and Lignite Companies-Conservation Safety and Infrastructure Development in Coal Mines" - saving of ₹6563.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6762.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2.(I) उपरोक्त बचत को मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया:–

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "2803" - under the following heads:-

(का) "अन्वेषण और विस्तृत ड्रिलिंग – कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण" – ₹5818.00 लाख का अधिक व्यय (₹53363.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Exploration and Detailed Drilling - Exploration of Coal and Lignite" - excess of ₹5818.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53363.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – कोयला खदानों में संरक्षण और सुरक्षा" – ₹521.00 लाख का अधिक व्यय (₹166.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित देनदारियों के निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Conservation and Safety in Coal Mines" - excess of ₹521.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹166.00 lakhs) was due to clearance of pending liabilities.

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास" – ₹1957.00 लाख का अधिक व्यय (₹619.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित दावों के निपटान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - excess of ₹1957.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹619.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards settlement of pending claims.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹310.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 52 प्रतिशत है।

(II) Under one head excess of ₹310.00 lakhs occurred constituting 52 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹4.15 लाख) ₹4.14 लाख की कुल बचत से अधिक थी।

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹4.15 lakhs) exceeded the overall savings of ₹4.14 lakhs.